न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–0744–2325871

GCMS NO.-2019/00094
मिसल नम्बर– 10/2019

1. श्रीमती अनिता पत्नी श्री गजानन्द जी जाति गुर्जर निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अपीलान्ट।

बनाम

1.रामेश्वर आत्मज श्री हरज्ञान उर्फ हरशान सिंह जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.भगवती बाई पुत्री श्री हरज्ञान उर्फ हरशान सिंह जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3.गजानन्द आत्मज श्री देवीराम जी निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.रामाबाई पत्नी देवीराम जी निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5.ग्राम पंचायत मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

रेस्पोडेन्ट्स।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत् अपील बनाराजगी ग्राम पचायंत मवासा नामान्तरण सं. 327 दिंनाक 05.03.2011।)

दिनांक 20/12/24

उपस्थित:–
1.श्री भारत सिंह अड़सेला, अभिभाषक अपीलान्ट।

प्रार्थिया श्रीमती अनिता द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरण संख्या 327 दिनांक 05.03.2011 ग्राम पंचायत मवासा के विरूद्व इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत मवासा द्वारा मृतक खातेदार श्री हरज्ञान सिंह उर्फ हरशान सिंह की स्वअर्जित आराजी वाके ग्राम प्रहलादपुरा खसरा नम्बर 341/413 रकबा 0.60 है0 भूमि का फौती इन्तकाल अवैध व गैरकानूनी रूप से प्रतिवादी 01 लगायत 04 के पक्ष में तस्दीक करने में त्रुटि की है। प्रार्थिया का निवेदन है कि मृतक खातेदार श्री हरज्ञान सिंह द्वारा ग्राम प्रहलादपुरा की आराजी खसरा नम्बर 341/413 की वसीयत दिनांक 18.03.2002 को रूबरू गवाहान अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की थी। उक्त वसीयत नामे की जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादियों को प्रारंभ से ही रही है। प्रार्थिया उक्त वसीयत नामे के आधार पर मृतक खातेदार श्री हरज्ञान सिंह की वसीयती उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व कब्जे की समुचित जांच किये बिना तथा मजमेआम में जानकारी प्राप्त किये बिना ही राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 के प्रावधानों के विपरीत जाकर जैर अपील आदेश पारित करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा उक्त वसीयत के तथ्यों को छिपाकर ग्राम पंचायत मवासा के सरपंच से मिलीभगत कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक करवाया गया है। जो पूर्णतया अवैध, गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया है कि उसकी अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जैर अपील निरस्त फरमाया जावें तथा मृतक खातेदार श्री हरज्ञान सिंह की वसीयत के आधार पर उक्त आराजी अपीलांट के खाते दर्ज करने हेतु पुनः जांच हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावें।

अपील दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर दिनांक 30.08.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया एक पक्षीय सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित है कि ग्राम प्रहलादपुरा की आराजी खसरा नम्बर 341/413 रकबा 0.60 है0 हरज्ञान सिंह पुत्र नारायण कौम गुर्जर की खातेदारी में दर्ज थी। श्री हरज्ञान सिंह की मृत्यु उपरान्त नामान्तकरण संख्या 327 से उक्त आराजी रामेश्वर देवी राम पुत्रान व भगवती बाई पुत्री हरज्ञान सिंह के नाम दर्ज हुयी। देवीराम की मृत्यु उपरान्त नामान्तकरण संख्या 475 दिनांक 08.05.2018 से मृतक देवीराम के हिस्से पर गजानन्द पुत्र व रानी बाई बैवा देवीराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नामान्तकरण संख्या 479 रिलीज डीड निर्णय दिनांक 25.06.2018 से गजानन्द द्वारा हक त्याग अपनी माता के पक्ष में करने पर देवीराम के सम्पूर्ण हिस्से पर रानी बाई का नाम दर्ज हुआ। वर्तमान में उक्त आराजी रामेश्वर पुत्र हरज्ञान सिंह, भगवती बाई पुत्री हरज्ञान सिंह व रामी बाई पत्नी स्व0 देवीराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थिया द्वारा वसीयत नामा प्रस्तुत किया गया है जो 18.03.2002 को निष्पादित है। जिस पर हरज्ञान सिंह के अंगूठे निशानी है तथा गवाह के रूप में राधा किशन शर्मा व देव किशन के हस्ताक्षर है उक्त वसीयत को मृत्यु उपरान्त दिनांक 01.03.2021 को पंजीबद्व करवाया गया। प्रार्थिया का कथन है कि हस्तगत आराजी मृतक खातेदार श्री हरज्ञान सिंह की स्वअर्जित आराजी थी, श्री हरज्ञान सिंह को उक्त आराजी की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अतः ग्राम पंचायत मवासा द्वारा नामान्तकरण संख्या 327 नियमों के विरूद्व जाकर स्वीकृत किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय तथा भू राजस्व नियमों

उपखण्ड अधिकारी

के तहत वसीयत की उपस्थिति में वसीयत की जांच उपरान्त नियमानुसार इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था, जो हस्तगत प्रकरण में नही किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थिया की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 05.03. 2011 खारिज किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिंनाक: 20/12/27 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डोड